अभिषेक बनाम रामचन्द्र वगैरह
मुकदमा नम्बर 021/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः– 021/2023

प्रार्थीः–

अभिषेक पुत्र महेश जाति अग्रवाल निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. रामचन्द्र पुत्र मन्शाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी नावां तहसील नावां।
2. हीरालाल पुत्र मन्शाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी नावां तहसील नावां।
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नावां तहसील नावां।
4. उप पंजीयक नावां तहसील नावां।
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता प्रार्थी
श्री विक्रम सिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 11.02.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम राजास पटवार हल्का गोविन्दी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 2.2050 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जो कि प्रार्थी की खरीद सुदा एवं कब्जे खातेदारी में स्थित है। प्रार्थी की ग्राम राजास में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 281 के पश्चिमी तरफ लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 532/281 रकबा 4.40 हैक्टर भूमि कब्जे सुदा खातेदारी की स्थित चली आ रही है। प्रार्थी की भूमि ग्राम राजास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 281 में आने जाने व काश्त हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ग्राम राजास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 532/281 रकबा 4.40 हैक्टर भूमि की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 4.50 मीटर चौड़ाई व पूर्व से पश्चिम 124 मीटर लम्बाई कुल 558 वर्गमीटर कायम चला आ रहा रास्ता प्रार्थी की भूमि में प्रवेश तक चाहते है चाहे गये रास्ते का अंकन सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा उक्त रास्ता आज दिन चालू है जिसका प्रार्थी उपयोग [illegible] करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को असुविधा [illegible] रही है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित रास्ता चाहते है। प्रार्थी की कब्जे काश्त [illegible] की ग्राम राजास पटवार हल्का गोविन्दी तहसील नावां की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 281 में [illegible]न करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि ग्राम राजास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5[illegible]1 रकबा 4.40 हैक्टर भूमि की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 4.50 मीटर चौड़ाई व पूर्व से पश्चिम 124 मीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:13:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

लम्बाई कुल 558 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी की ग्राम राजास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 281 में प्रवेश तक सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता दिलाने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 4, 5 का तामील सुदा नोटिस प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 3 का प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में शेष जमीन पर बैंक का रहन सुनिश्चित करे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह सोलंकी ने इकबाली जवाब मय सहमति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि में से चाहा गया रास्ता दिया जाकर रास्ता राजकीय कटाणी मार्ग घोषित किया जाता है तो हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई उज्र एतराज नहीं है तथा रास्ता राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किये जाने से हमारी पूर्ण सहमति है। हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त चाहे गये रास्ते के बदले किसी प्रकार की प्रतिकर राशि एवं भूमि के बदले भूमि नहीं लेना चाहते है।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम राजास के खसरा नम्बर 281 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि राजस्व ग्राम राजास के खसरा नम्बर 532/281 रकबा 4.40 हैक्टर भूमि की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 4.50 मीटर चौड़ाई व पूर्व से पश्चिम 124 मीटर लम्बाई कुल 558 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी की ग्राम राजास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 281 में प्रवेश तक रास्ता चाहते है। उक्त चाहे के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने इकलाबी जवाब पेश कर सहमति दी है तथा उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 3 का हित सुरक्षित रखा जाना उचित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम राजास के खसरा नम्बर 281 में आवागमन करने हेतु राजस्व ग्राम राजास के खसरा नम्बर 532/281 रकबा 4.40 हैक्टर भूमि की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 4.50 मीटर चौड़ाई व पूर्व से पश्चिम 124 मीटर लम्बाई कुल 558 वर्गमीटर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों की शेष भूमि पर संबंधित बैंक का रहन यथावत रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:13:01 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)